श्री मान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर ब्रांच सर्किट रीवा

निग / 2841/II/15

प्र0 क्र0 ——— 2015 रीवा

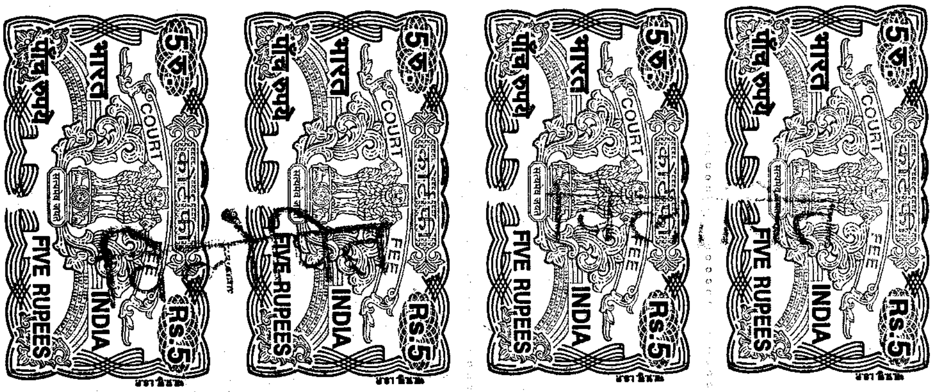

श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया अधि. द्वारा आज दि 28-8-15 को प्रस्तुत
28-8-15

1- राजकुमारी पटेल पुत्री फूलचन्द्र पटेल पत्नी मोहनलाल उम्र 32 वर्ष पेशा गृहकार्य, निवासी ग्राम-दुवगवाँ कुर्मियान, थाना व तहसील मउगंज जिला रीवा (म0प्र0)

2:-- मोहनलाल पिता कालू पटेल उम्र 39 वर्ष पेशा नौकरी, निवासी ग्राम- दुवगवाँ कुर्मियान, थाना व तहसील मउगंज जिला रीवा (म0प्र0)

——— पुनरीक्षणकर्ता/आवेदकगण

बनाम्

1- संजय पटेल पिता विद्यानिवास पटेल उम्र 41 वर्ष,

2- जन्मजय पटेल पिता विद्यानिवास पटेल उम्र 29 वर्ष,

3- संजीव पटेल पिता विद्यानिवास पटेल उम्र 31 वर्ष,

4- मेवालाल पिता रामगोपाल पटेल उम्र 61 वर्ष,

5- बहादुर पटेल पिता रामगोपाल पटेल उम्र 58 वर्ष,

6- श्रीपति पटेल पिता ~~[illegible]~~ राजमणि पटेल उम्र 66 वर्ष,

7- रघुनन्दन प्रसाद पटेल पिता राजमणि पटेल उम्र 62 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम- दुवगवाँ कुर्मियान, थाना व तहसील मउगंज जिला रीवा (म0प्र0)

--- गैरपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदकगण

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2841/II/15 .... जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.9.15	प्रकरण मे आवेदक की ओर से श्री ओ०पी० शर्मा अभि० उपस्थित। आवेदक अभि० को प्रकरण मे ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अभि० द्वारा अपने तर्कों मे बताया गया कि आवेदिका द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक-481/2 481/3 का विक्रय पत्र के आधार पर नक्शा तरमीम एवं सीमांकन आदेश दिनांक 21-6-10 को कराया गया जिसके विरूद्ध कोई अपील/निगरानी/सिविल वाद आदि न होने से आदेश अंतिम हो गया। यह भी बताया गया कि अनावेदक गण द्वारा पश्चिम की तरफ से हमारे हिस्से पर अंश भाग पर मकान की स्थिति बनाकर प्रभावित किया गया जिसके संबंध मे आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 250 के तहत कार्यवाही की गई जो तह० न्याया० में विचाराधीन है उक्त 250 की कार्यवाही मे तह० न्याया० मे मौके पर यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गये थे। उक्त यथा स्थिति के आदेश दिनांक-14-7-15 को अपने आदेश दिनांक 10-8-15 से निरस्त किया गया जिससे मौके पर अना० द्वारा मेरे हिस्से पर कब्जा कर मकान बनाने की स्थिति निर्मित होने की सम्भावना बन गई है। तथा मौके पर विपरीत स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। यथा स्थिति बनाए रखने का निवेदन किया गया। प्रकरण उपलब्ध तथ्यों से ऐसा परिलक्षित हो रहा है कि संहिता की धारा 250 का प्रकरण तह० न्याया० मे विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश दिया गया था जिसे निरस्त किये जाने से ऐसा	

[कृ. प. उ.

महोदय मऊगंज के राजस्व प्रकरण क्र० 42970/14-15 आदेश

मोहनलाल पटेल राजकुमारी पटेल

स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकारों एवं अभि...

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं [redacted] आदि के हस्ताक्षर
	निगरानी प्रकरण का प्रकटीकरण हुआ है। उक्त वर्णित परिस्थितियों में तहसीलदार मऊगंज को निर्देशित किया जाता है कि संहिता की धारा 250 के तहत आपके न्यायालय में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 52/अ-70/14-15 में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आवेदक एवं अनावेदक को अपना-अपना हिस्सा नियत स्थान पर मुताबिक अभिलेख मिल जावे तथा किसी पक्षकार का हित अनुचित रूप से प्रभावित न, हो इस ध्यान में रखते हुए विधि अनुकूल प्रचलित प्रकरण का निराकरण करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यवाही के प्रचलित रहते किसी प्रकार की विपरीत स्थिति मौके पर उत्पन्न न हो इसे बनाए रखने हेतु यदि स्थगन की आवश्यकता हो तो स्थगन दिए जाने पर पुनः विचार करें एवं स्थगन आदेश संहिता में निहित प्रावधानों के तहत जारी करें। प्रकरण का शीघ्र निराकरण 3 माह में अनिवार्य रूप से किया जावे। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। (हस्ताक्षर) (नपस्थ)	

शाक्षेमुग्वा-80-फासेग्वा-1: